

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 4/2025**

**IN THE MATTER OF:**

SUSHIL RAGHAV

...**APPLICANT****VERSUS**


STATE OF U.P. &amp; ORS.

...**RESPONDENT(s)****INDEX**

<b>S. NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	AFFIDAVIT BY THE RESPONDENT NO. 3, DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD	
2.	A COPY OF THE LETTERS DATED 18.01.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-1</b>	
3.	A COPY OF THE REPORT DATED 14.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-2</b>	
4.	A COPY OF THE CURRENT REVENUE RECORDS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-3</b>	
5.	A COPY OF THE 1359 AND 1378 <i>FASLI</i> YEAR REVENUE RECORDS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-4</b>	
6.	A COPY OF THE LETTER DATED 12.11.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS	

	<b>ANNEXURE-5</b>	
7.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 11.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS <b>ANNEXURE-6</b>	

**THROUGH COUNSEL**



BHANWAR PAL SINGH JADON  
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 3  
[bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com) | 6375115224

**DATE: 14/05/2026**

**PLACE: NOIDA**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 4/2025**

**IN THE MATTER OF:**

SUSHIL RAGHAV

**...APPLICANT**

**VERSUS**

STATE OF U.P. & ORS.

**...RESPONDENT(s)**

**AFFIDAVIT BY THE RESPONDENT NO. 3, DISTRICT  
MAGISTRATE, GHAZIABAD**

I, RAVINDRA KUMAR MANDER, aged about 36 years, S/o Shri Chandan Lal Meena, posted as District Magistrate, Ghaziabad, U.P., do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That in the present matter, the issue of the land of *Khasra* Numbers mentioned in Annexure A-3 (8 lands in question) in Industrial Area Site IV, Sahibabad, in village Maharajpur, Karkarmodel and Jhandapur, was earmarked as park but in an illegal manner Nagar

Nigam, Ghaziabad is changing status by raising illegal and unauthorized constructions thereon.

3. That UPSIDA vide letters dated 18.01.2025 had sought the status of land for *Khasra* no. 92 admeasuring 0.1640 hectares and *Khasra* No. 93 Min. admeasuring 0.0130 hectares situated in Loni.

A copy of the letters dated 18.01.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1**.

4. That in pursuance of the aforementioned letter issued by the UPSIDA, the Tehsildar vide letter dated 14.02.2025 has sent their report to the UPSIDA.

A copy of the report dated 14.02.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2**.

5. That as per the report dated 14.02.2025 sent to UPSIDA, it was found that as per the current revenue records, in Village Jhandapur, under *Khata* No. 06, *Khasra* No. 92 (0.1640 hectares) and *Khasra* No. 93 Min./2 (0.0130 hectares) stands recorded in the name of "Smt. Usha Rani through Ghaziabad Kalyan Sahkari Awas Samiti Ltd.,

Sahibabad, Ghaziabad” as transferable *bhumidhar*/co-tenure holder. Further, under *Khata* No. 47, *Khasra* No. 93/1 (0.013 hectares) continues to be recorded as barren land (“*Banjar*”).

A copy of the current revenue records is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**.

6. That furthermore, as per the ***Fasli Year 1359***, a portion of *Khasra* No. 93 M was recorded as barren land (“*Banjar*”). In addition thereto, in ***Fasli Year 1378***, under *Khata* No. 60, *Khasra* No. 92 (area 0-13-0 *bigha*) and *Khasra* No. 93 Min. (area 0-1-0 *bigha*) were recorded in the revenue records in the name of Smt. Panna Devi and others as transferable *bhumidhars*/co-tenure holders.

A copy of the 1359 and 1378 *fasli* year revenue records are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

7. That furthermore, UPSIDA vide letter dated 09.04.2025 and 01.05.2025 has sought information regarding the actual status of land.

8. That in pursuance thereof, the District Magistrate vide letter dated 12.11.2025 constituted a Joint Committee comprising the Sub-Divisional Magistrate, Sadar Ghaziabad (Chairperson), the Tehsildar, Sadar Ghaziabad, the Deputy General Manager (Civil)-I, UPSIDA Ghaziabad, and the Regional Manager, UPSIDA Ghaziabad, and directed them to carry out the spot inspection in relation to the issue concerning the alleged illegal encroachment over the UPSIDA park land near Yadu Gaira Agency. The committee was further directed to examine the actual physical status, demarcation, and possession at site and thereafter submit a detailed report to the Deponent at the earliest.

A copy of the letter dated 12.11.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**.

9. That in compliance thereof, the Committee conducted a spot inspection of Village Jhandapur and an inspection report dated 11.05.2026 has been submitted to the Deponent. During the course of the inspection, **it was found that a major portion of the land situated in Village Jhandapur, Pargana Loni, Tehsil and District Ghaziabad, has already been incorporated within**

**the industrial area of UPSIDA.** Various industrial units, factories, warehouses, and commercial establishments have been established in the said area. As per the Layout Plan of UPSIDA, the area stands reserved and allotted for industrial use. **The aforesaid industrial constructions are of permanent nature and have been operational for several years.** Roads, drains, electricity poles, and other civic amenities are also existing at the site.

A copy of the inspection report dated 11.05.2026 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

10. That furthermore, during the inspection it was observed that due to dense habitation and extensive industrial constructions at the spot, no permanent reference point necessary for carrying out measurement is available in its original form. There exists a substantial discrepancy between the revenue records/sizra maps available with the Revenue Department and the actual physical status prevailing on the site. **Owing to the constructions raised over the land, the nature and character of the land has undergone such extensive alteration that measurement through conventional methods of survey (Jarib/Tape**

Measurement) and demarcation on the basis of maps is not feasible, nor can possession be accurately determined.

11. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.


12. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at GHAZIABAD on this 14<sup>th</sup> day of MAY, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT



**ATTESTED**  
**MANISH ARYA**  
NOTARY PUBLIC, DELHI  
GOVT. OF INDIA

14 MAY 2026

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक  
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

तहसीलदार,  
तहसील-सदर,  
जनपद-गाजियाबाद।

कार्यालय उप-महाप्रबन्धक(सिविल)  
निर्माण खण्ड-प्रथम,  
भवन संख्या- ए-03, यूपीसीडा  
आवासीय कालोनी, सैक्टर-16,  
शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201001  
दूरभाष :-0120- 2791512  
ई-मेल : cd1@upsida.co.in  
GSTIN:-09AAALU1000G1ZF

पत्रांक सं० 1170 / यूपीसीडा / डी0जी0एम0(सि0) / सीडी-1 / गा0बाद दिनांक 18/11/25  
विषय:- खसरा सं०-92 रकबा 0.1640, खसरा सं०-93 मि०/2 रकबा 0.013 ग्राम झण्डापुर, परगना लोनी तहसील व  
जिला गाजियाबाद ( तत्कालीन जिला मेरठ ) की भूमि के सम्बन्ध में।  
महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्रांक 938 दिनांक 09.01.2025 के साथ संलग्न श्रीमती उषा रानी,  
गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति लि०, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 17.12.2024 का सन्दर्भ लेने का कष्ट  
करें, जिसके द्वारा जनपद-गाजियाबाद के खसरा सं० 92 में 1640 वर्गमी० तथा खसरा सं० 93 मि०/2 में 130 वर्गमी०  
कुल भूमि 1561.00 वर्गमी० भूमि का तत्समय प्रचलित सर्किल रेट 31,500 प्रति वर्ग मी० की दर से कय करने अथवा  
औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावठी रोड में कॉमर्शियल औद्योगिक फेसिलिटी की भूमि, लोनी साईट-2 मोहन नगर में 1501  
वर्ग मी० एकमुश्त भूमि न हो तो टुकड़ों में दिये जाने की अपेक्षा की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र सहिबाबाद की स्थापना हेतु विज्ञप्ति सं० 5033-एचआई/18-च-336 यति-67 दिनांक 11.01.  
1969 को शासन द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में ग्राम झण्डापुर के खसरा सं० 92 एवं 93 मि०/2 अंकित नहीं पाये गये हैं  
जिससे तहसील स्तर पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार तहसील स्तर से निम्न बिन्दुओं पर सूचना आवश्यक है:-

1. अर्जन के दौरान (आधार वर्ष 1969) में वर्णित खसरा संख्याओं 92 एवं 93 मि०/2 की अभिलेखीय स्थिति क्या  
थी ?
2. स्थल पर वर्णित खसरा संख्याओं में श्रीमती उषा रानी, गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति लि०,  
गाजियाबाद का ही स्वामित्व/कब्जा है अथवा नहीं।
3. स्थल पर वर्णित खसरा संख्याओं की वास्तविक स्थिति एवं प्राधिकरण का कब्जा है अथवा कोई निर्माण स्थित है  
या नहीं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में अर्जन के दौरान (आधार वर्ष 1969) में तहसील में उपलब्ध  
राजस्व अभिलेखों के अनुसार वर्णित बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण पर अग्रिम  
आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।  
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(आर०एस०यादव)

उप महाप्रबन्धक(सिविल)

पत्रांक सं० / यूपीसीडा / डी0जी0एम0(सि0) / सीडी-1 / गा0बाद दिनांक  
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सी)महोदय, यूपीसीडा, कानपुर के अवलोकनार्थ।
2. प्रभारी(भू०अ०), यूपीसीडा, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री सोनू कुमार पाण्डेय, प्रबन्धक(सिविल) निर्माण खण्ड-प्रथम, यूपीसीडा, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही  
हेतु।



3584/PC-25

(आर०एस०यादव)

उप महाप्रबन्धक(सिविल)

जानं क. राजा



तहसीलदार

गाजियाबाद

3582 RC-25  
18.01.2025.

गहरीग,

1589

B.H

14.2.25

कृष्णा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक सं०-1170/श.पी.सी.डा./  
डी.जी.एच. (सि०)/सीडी -1/गा० बाद दिनांक 18-01-25 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट  
करें। सन्दर्भित प्रकरण ग्राम-झण्डापुर के खसरा संख्या-92 रकबा 0-1640, खसरा संख्या-  
93 मि०/2 रकबा 0-0130, परगना-जोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद की भूमि के सम्बन्ध  
में पत्र में दिगे गये निन्दुओं के सम्बन्ध में निन्दुवार बाब्या उषित किसे जाने हेतु -  
निर्देशित है। राजस्व अभिलेखों का परीक्षण उपरान्त जांच बाब्या निम्न प्रकार है।

प्रश्न नं०-1 : जर्न के दौरान (आधार वर्ष 1969) में वर्णित खसरा संख्याओं 92 एवं  
93 मि०/2 की अभिलेखीय स्थिति क्या थी।

उत्तर : उपरोक्त प्रश्न से सम्बन्धित राजस्व अभिलेखागार कार्यालय से प्राप्त -  
खतौनी फसली वर्ष 1378 के खाता संख्या-60 के खसरा सं०-92 -  
रकबा 0-13-0 (बीघा), 93 मि० रकबा 0-1-0 (बीघा) पर राजस्व  
अभिलेखों में भूमि श्रीमती पन्ना देवी आदि के नाम संग्रहणीय भूमिधर  
सह्यातेदार के रूप में नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या-  
93 मि० रकबा 0-1-0 (बीघा) उपरोक्त रकबे के अतिरिक्त 1359 फसली  
में बंजर भूमि के नाम भी दर्ज है। साह्य संलग्न है।

प्रश्न नं०-2 : स्थल पर वर्णित खसरा संख्याओं में श्रीमती उषा रानी, गाजियाबाद कल्याण  
सहकारी आवास समिति लि० गाजियाबाद का ही स्वामित्व/रकबा है अथवा नहीं।

उत्तर : उपरोक्त खसरा संख्याओं से सम्बन्धित वर्तमान रियल टाइम खतौनी का  
अवलोकन किया गया। ग्राम-झण्डापुर के वर्तमान रियल टाइम खतौनी  
के खाता सं०-06 के खसरा सं०-92 रकबा 0-1640, 93 मि०/2 रकबा  
0-0130 है पर राजस्व अभिलेखों में गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास  
समिति लि० साहिबवादा गाजियाबाद द्वारा उषा रानी पत्नी अशोक कुमार  
निवासी: ग्राम पार्क सा० बाद, गा० बाद का नाम संग्रहणीय भूमिधर -  
सह्यातेदार के रूप में नाम अंकित है तथा खाता सं०-47 के खसरा सं०-  
93। रकबा 0-013 है पर बंजर के नाम दर्ज है। उपरोक्त प्रकरण में -  
श्रीमती उषा रानी द्वारा गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति  
के द्वारा लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भवगत कराया गया, कि उपरोक्त

श्री सोहन कुमार पांडेय  
मुन्शी आशु शरोडा

Ans Singh

15/02/25



P.T.O

प्रश्नगत भूमि पर उषा रानी का कब्जा नहीं है। स्थलीय निरीक्षण में प्रश्नगत भूमि UPSIDA (यू.पी.सी.डा.) क्षेत्र के अन्तर्गत है।

प्रश्न नं०-3: स्थल पर वर्णित खसरा संख्याओं की वास्तविक स्थिति एवं प्राधिकरण का कब्जा है अथवा कोई निर्माण स्थित है या नहीं।

उत्तर : प्रश्नगत भूमि यू.पी.सी.डा. के क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण वर्णित खसरा संख्याओं की वास्तविक स्थिति / कब्जे के सम्बन्ध में स्पष्टता उपरोक्त प्राधिकरण के पास औद्योगिक क्षेत्र का Lay Out Plan / सजरा सूपरइम्पोज प्लान उपलब्ध है। जिसके अवलोकन करने से उपरोक्त वर्णित भूमि की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। विन्दु संख्या - 03 के प्रश्न का उत्तर सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त यू.पी.सी.डा. के कार्यालय से ही सम्बन्धित है। विन्दुवार आख्या सादर सेवा में प्रस्तुत है।

नोट : यू.पी.सी.डा. के कार्यालय के पत्रांक 922 (1) दिनांक 17.11.98 के पत्र की प्रति संलग्न है जिसमें उपरोक्त वर्णित भूमि की स्थिति स्पष्ट की गयी है संलग्न है।

04/02/2025.  
सुरेन्द्र सिंह लेखपाल  
क्षेत्र.....  
तहसील व जिला - गाजियाबाद

महोदय

लेखपाल कार्यालय

प्रति

06/02/2025

344/2025  
प्रमाण

सिंह

02/02/25

तहसीलदार  
गाजियाबाद

गजेन्द्र सिंह  
राज्य निरीक्षण  
क्षेत्र-साहिबाबाद  
तहसील-गाजियाबाद

546



भूलेख - खतौनी  
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

ANNEXURE-3



श्री नरेंद्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री, भारत



श्री योगी आदित्यनाथ  
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

Hindi

Download PDF

Back

### उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

14/May/2026 12:34:15 PM

जनपद : गाजियाबाद

तहसील : गाजियाबाद

ग्राम : झण्डापुर

ग्राम कोड : 216961

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30  
जून, 2024)

खाता संख्या : 00006

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
92	1) गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति लि.साहिबाबाद / गा0बाद द्वारा उषा रानी पत्नी अशोक कुमार / श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद  2) यशपाल सिंह / विजयपाल / कडकड माडल  3) सत्यपाल सिंह / विजयपाल / कडकड	1) राजस्व निरीक्षक / <a href="#">202521696100003</a> / 21-01-2025 / दुरस्ती (संशोधन से)	1397 से	<b>92</b> <b>(2169610092000012)</b>	0.1640	1) 1446/1640  2) 97/1640  3) 97/1640	1) 0.1446  2) 0.0097  3) 0.0097	5.09

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति  
(भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय  
/भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु  
खसरा संख्या पर क्लिक करें।

548

माडल

0.1640

कुल गाटे :  
एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक छह चार  
शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : पांच दशमलव शून्य  
नौ रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक छह चार  
शून्य (हेक्टेयर)

अप्रमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) राजस्व निरीक्षक / 202521696100003 / 21-01-2025 / दुरस्ती (संशोधन से) / ROOPCHAND SINGH (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 22-01-2025	1.1) गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति लि.साहिबाबाद/ गा0बाद द्वारा उषा रानी पत्नी अशोक कुमार/श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद (: 0.0000)	92 (2169610092000012)	1.1) 0.0820  1.2) 0.0410  1.3) 0.0410	1.1) गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति लि.साहिबाबाद / गा0बाद द्वारा उषा रानी पत्नी अशोक कुमार / श्याम	92 (2169610092000012)	1.1) 0.1446  1.2) 0.0097  1.3) 0.0097

1.2) सत्यपाल सिंह/  
विजयपाल/कडकड  
माडल (: 0.0000)

1.3) यशपाल सिंह/  
विजयपाल/कडकड  
माडल (: 0.0000)

पार्क  
साहिबाबाद  
गाजियाबाद

1.2) सत्यपाल  
सिंह /  
विजयपाल /  
कडकड माडल

1.3) यशपाल  
सिंह /  
विजयपाल /  
कडकड माडल

अप्रमाणित प्रतिलिपि

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

# 552



भूलेख - खतौनी  
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश



श्री नरेंद्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री, भारत



श्री योगी आदित्यनाथ  
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

Hindi

Download PDF

Back

## उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

14/May/2026 12:35:54 PM

जनपद : गाजियाबाद

तहसील : गाजियाबाद

ग्राम : झण्डापुर

ग्राम कोड : 216961

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30  
जून, 2024)

खाता संख्या : 00006

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
93मि./2	1) गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति लि.साहिबाबाद / गा0बाद द्वारा उषा रानी पत्नी अशोक कुमार / श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद  2) यशपाल सिंह / विजयपाल / कडकड माडल  3) सत्यपाल सिंह / विजयपाल / कडकड माडल	1) राजस्व निरीक्षक / <a href="#">202521696100002</a> / 21-01-2025 / दुरस्ती (संशोधन से)	1397 से	<b>93मि./2</b> <b>(2169610093200112)</b>	0.0130	1) 115/130  2) 7/130  3) 8/130	1) 0.0115  2) 0.0007  3) 0.0008	0.41

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति  
(भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय  
/भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु  
खसरा संख्या पर क्लिक करें।

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव चार एक रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य (हेक्टेयर)
------------------	--	---	---

अप्रमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) राजस्व निरीक्षक / 202521696100002 / 21-01-2025 / दुरस्ती (संशोधन से) / ROOPCHAND SINGH (रजिस्ट्रार कानूनगो) / 22-01-2025	1.1) यशपाल सिंह/ विजयपाल/कडकड माडल (: 0.0000) 1.2) सत्यपाल सिंह/ विजयपाल/कडकड माडल (: 0.0000) 1.3) गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति	93मि./2 (2169610093200112)	1.1) 0.0032  1.2) 0.0033  1.3) 0.0065	1.1) यशपाल सिंह / विजयपाल / कडकड माडल  1.2) सत्यपाल सिंह / विजयपाल / कडकड माडल	93मि./2 (2169610093200112)	1.1) 0.0007  1.2) 0.0008  1.3) 0.0115

556

लि.साहिबाबाद/  
गा0बाद द्वारा उषा  
रानी पत्नी अशोक  
कुमार/श्याम पार्क  
साहिबाबाद  
गाजियाबाद (:  
0.0000)

1.3)  
गाजियाबाद  
कल्याण  
सहकारी  
आवास  
समिति  
लि.साहिबाबाद  
/ गा0बाद  
द्वारा उषा रानी  
पत्नी अशोक  
कुमार / श्याम  
पार्क  
साहिबाबाद  
गाजियाबाद

अप्रमाणित

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.







	(2) नई परती			नकल खवाल सं. 693 शब्द सं. 61 था जति अन्त नकल खवांनी (1378-1380 फ०) खाना सं. 86	
५५	नई परती	४०२/३	६	आदि शाखा मान मे. डी. म. कादि को. आदि शाखा सं. ५०२/३ से नई परती नकल खवाल प. पी. ६३६६ का नाम ६३६६	
	योग ५-९	९	६	ग्राम झुझापुर पर लानी नई व जिला गा. बाद	१०
५-२	पुरानी परती (लदीम)			नदो रद	
(3)	कृषि योग्य बंजर			नदो रद	
	क. ख. ग. घ.			नदो रद	
	ड. अन्य			कृषि योग्य बंजर सूची	
५६	बंजर	४६	३१		
		५४	॥		
		५५	॥३		
		६३	५९		
		२२६	५३		
		२४२	५४		
		२५०	५९		
				आदि शाखा मान मे. डी. म. कादि वा. नं. १४६-११२ को. आदि शाखा क्रि. नं. रनसरा २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००	

562

UP S.D.C.  
U.P.S.D.C.  
UP S.D.C.

248/2 9119 85

249 112

250 1842

251 52

250/2 2118

252 2111

253 4118

254 12

255/3 2311 8113

256 212

258/2 21118

259 2419

260 518

261 318

262 518

263 5

264/2 212

265 211

266 11

267 218

268 112

269 118

270/2 1112

271 2118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			324/2	211	50	8			
			302	212					
			303	212					
			304	52					
			305	8131					
			306	12					
			307	831812					
			308	2118					
			309	211					
			310	218					
			311	8451119					
			312	8451119					
	मोग आरती	२५	४५५	२४५१११९					
	आरती	६	अ कृषि क २५११						
	(1) जल भंग	११							



नकल कर्ता

तुलना कर्ता

स्टाम्प रुपये ~~२२५~~ ~~कार्यवाही~~ देना  
 प्रार्थनापत्र देने की दिनांक 14/5/26  
 नकल हमारी की दिनांक 14/5/26  
 नकल देने की दिनांक 14/5/26

सत्यप्रतिनिधि

राजस्व अधिष्ठाता (स०/अनि०)  
 कलेक्टर नाजिबाबाद

**ग्राम झंडापुर परगला लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद**

क्रमांक	वर्तमान खतौनी में स्थिति			चकबन्दी नहीं हुई है			1359 फसली में स्थिति			1378-1380 फसली में स्थिति		
	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे० मे	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे० मे	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे० मे	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हे० मे	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92	0.1640	1)गाजियाबाद कल्याण सहकारी समिति लि. साहिबाबाद/गा०बाद द्वारा उषा रानी पत्नी अशोक कुमार/श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद 2)यशपाल सिंह/विजयपाल/कडकड माडल 3)सत्यपाल सिंह/विजयपाल/कडकड माडल	—	—	—	92	0-13-0	दाताराम पुत्र निहाल सिंह, तिलकराम पुत्र नत्थु सिंह	92	0-13-0	सरदार सिंह पुत्र बल्लर सिंह आदि
	93/1	0.0130	1) बंजर/				93	0-1-0	दाताराम पुत्र निहाल सिंह, तिलकराम पुत्र नत्थु सिंह	93	0-19-0	सरदार सिंह पुत्र बल्लर सिंह आदि
	93मि/2	0.0130	1)गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति लि. साहिबाबाद/गा०बाद द्वारा उशा रानी पत्नी अशोक कुमार/श्याम पार्क साहिबाबाद गाजियाबाद 2)यशपाल सिंह/विजयपाल/कडकड माडल 3)सत्यपाल सिंह/विजयपाल/कडकड माडल				93	0-1-0	बंजर	93	0-1-0	बंजर

आदेश

दिनांक 30.10.2025 को सम्पन्न जिला स्तरीय सघीय वधु बैठक में सभितवाचक औद्योगिक संयुक्तन के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि वधु वधु पुनरीक्षण की मांग यूपीसीडी के पाने पर अनैत कब्जा कर रस लपौन को गिराये पर दिया गया है।

बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त प्रकरण पर जीव हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की विशेष जाँच टीम (SIT) गठित की जाती है :-

- |  |         |
|--|---------|
| 1. उप जिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद                     | अध्यक्ष |
| 2. तहसीलदार सदर, गाजियाबाद                           | सदस्य   |
| 3. उपमहाप्रबन्धक (सिविल), प्रथम, यूपीसीडी, गाजियाबाद | सदस्य   |
| 4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडी, गाजियाबाद           | सदस्य   |

उक्त क्रम में गठित SIT को निर्देशित किया जाता है कि वे रातर्गत प्रकरण में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण एवं कब्जा किये गये भूखण्ड की वेगदर्श आदि कराते हुए 10 दिन के अन्दर सुरपष्ट जाँच आख्या अधीरस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित करना है कि भूखण्ड से सम्बन्धित मूल आगलेख क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडी, गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित टीम को सफलता कराये जाये।

( रविन्द्र कुमार मोंदड़ )  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

- कार्यालय पृ०सं० 1772 / उपरोक्त / आदेश / तद दिनांक : - 12.11.25
- प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित :-
1. उप जिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद।
  2. तहसीलदार सदर, गाजियाबाद।
  3. उपमहाप्रबन्धक (सिविल), प्रथम, यूपीसीडी, गाजियाबाद।
  4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडी, गाजियाबाद।

( रविन्द्र कुमार मोंदड़ )  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

# 566 TYPED COPY

## आदेश

दिनांक 30/10/2025 को सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग बन्धु बैठक में साहिबाबाद औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि यदु गैस एजेन्सी के निकट यूपीसीडा के पार्क पर अवैध कब्जा कर उस जमीन को किराये पर दिया गया है ।

बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त प्रकरण पर जाँच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की विशेष जाँच की टीम (SIT) गठित की जाती है:-

- |  |         |
|--|---------|
| 1. उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद                  | अध्यक्ष |
| 2. तहसीलदार, सदर, गाजियाबाद                      | सदस्य   |
| 3. उपप्रबंधक (सिविल), प्रथम, यूपीसीडा, गाजियाबाद | सदस्य   |
| 4. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा, गाजियाबाद ।      | सदस्य   |

उक्त क्रम में गठित SIT को निर्देशित किया जाता है कि वे संदर्भित प्रकरण में संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण एवं कब्जा किये गये भूखण्ड की पैमाईश आदि कराते हुए 10 दिन के अन्दर सुस्पष्ट जाँच आख्या अघोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित करना है कि भूखण्ड से सम्बन्धित मूल अभिलेख क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित टीम को उपलब्ध कराया जायें।

(रविंद्र कुमार मॉदड़)  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

कार्यालय  
पत्रांक सं०  
प्रतिलिपि:-

जिलाधिकारी  
/उपरोक्त/आदेश/तद दिनांक

गाजियाबाद

निम्नलिखित को सूचनार्थ व अनुपालन हेतु प्रेषित:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद ।
2. तहसीलदार, सदर गाजियाबाद ।
3. उपप्रबंधक (सिविल), प्रथम, यूपीसीडा, गाजियाबाद ।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा, गाजियाबाद ।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक  
विकास प्राधिकरण



तहसीलदार,  
तहसील-सदर,  
जनपद-गाजियाबाद।

कार्यालय उप-महाप्रबन्धक(सिविल)  
निर्माण खण्ड-प्रथम,  
भवन संख्या- ए-03, यूपीसीडा  
आवासीय कालोनी, सैक्टर-16,  
शास्त्री नगर, गाजियाबाद-201001  
दूरभाष :-0120- 2791512  
ई-मेल : cd1@upsida.co.in  
GSTIN:-09AAALU1000G1ZF

पत्रांक सं० 55(i-iv)/यूपीसीडा/डी0जी0एम0(सि0)/सीडी-1/गा0बाद दिनांक 09-04-25  
विषय:- खसरा सं०-92 रकबा 0.1640, खसरा सं०-93मि0/2 रकबा 0.013 ग्राम झण्डापुर,  
परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद ( तत्कालीन जिला मेरठ ) की भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 1170/यूपीसीडा/  
डी0जी0एम0(सि0)/सीडी-1/गा0बाद दिनांक 18.01.2025 के संबंध में प्रेषित पत्र के संबंध में बिंदु  
संख्या 01 एवं 02 के संबंध में आख्या आपके द्वारा प्रेषित की गई। लेकिन बिंदु संख्या 03 "स्थल  
पर वर्णित खसरा की वास्तविक स्थिति एवं प्राधिकरण का कब्जा है अथवा कोई निर्माण स्थित है  
या नहीं "के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें, क्योंकि ले-आउट प्लान एवं खसरा  
सुपर इंपोजिशन प्लान से उक्त की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया बिंदु संख्या-03 के संबंध में आख्या उपलब्ध कराने का  
कष्ट करें। क्योंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका से आच्छादित है।

अतः आपसे अनुरोध है की प्राथमिकता पर उक्त आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर0एस0यादव)

उप महाप्रबन्धक(सिविल)

0/0

दिनांक 09-04-25

पत्रांक सं० 55(i-iv)/यूपीसीडा/डी0जी0एम0(सि0)/सीडी-1/गा0बाद  
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, यूपीसीडा, कानपुर के अवलोकनार्थ।
2. प्रभारी(भू0अ0), यूपीसीडा, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री सोनू कुमार पाण्डेय, प्रबन्धक(सिविल) निर्माण खण्ड-प्रथम, यूपीसीडा, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर0एस0यादव)

उप महाप्रबन्धक(सिविल)

0/0

U.P. STATE INDUSTRIAL  
DEVELOPMENT AUTHORITY



कार्यालय उप—महाप्रबन्धक (आवासीय)  
निर्माण खण्ड—प्रथम  
भवन संख्या — ए — 03, यूपीसीडा  
आवासीय कॉलोनी, शास्त्री नगर,  
गाजियाबाद - 2001001  
ई — मेल : cd1@upsida.co.in  
GSTIN:-09AAALU1000G1ZF

उप जिलाधिकारी  
सदर गाजियाबाद।

संदर्भ संख्या 19 S(i-V)/यूपीसीडा / डी0जी0एम0(सि0) / सी0डी0—1/गा0बाद  
दिनांक 01/5/25

विषय :- खसरा संख्या 92 रकबा 0.1640, खसरा संख्या 93 मि0 / 2 रकबा 0.013 ग्राम  
झण्डापुर, परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (तत्कालीन जिला मेरठ) की  
भूमि के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 1170 दिनांक 18/01/2025  
(छायाप्रति संलग्न) जो तहसीलदार, गाजियाबाद को सम्बोधित है का संदर्भ लेना चाहें, जिसके द्वारा  
श्रीमती ऊषा रानी, गाजियाबाद कल्याण सहकारी आवास समिति, गाजियाबाद के पत्र दिनांक  
17/12/2024 के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र साहिवाबाद, ग्राम - झण्डापुर के खसरा संख्या 92 एवं 93 के  
सम्बंध में तीन बिंदुओं पर आख्या चाही गयी थी। जिसके क्रम में तहसीलदार द्वारा अपने पत्र दिनांक  
18/01/2025 के माध्यम से आख्या दी गई थी। पुनः पत्र संख्या 55 दिनांक 09/04/2025 के द्वारा बिंदु  
संख्या 3 के सम्बंध में "स्थल पर वर्णित खसरा की वास्तविक स्थिति एवं प्राधिकरण का कब्जा है अथवा  
कोई निर्माण स्थित है या नहीं" के सम्बंध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था तथा साथ  
ही प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका से आच्छादित होने के कारण समयबद्ध हैं, से भी  
अवगत कराया गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्राथमिकता पर उक्त आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर.एस. यादव)

उप महाप्रबन्धक (सिविल)

संदर्भ संख्या 19 S(i-V)/यूपीसीडा / डी0जी0एम0(सि0) / सी0डी0—1/गा0बाद  
दिनांक 01/5/25  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, यूपीसीडा, कानपुर के अवलोकनार्थ।
2. प्रधान महाप्रबन्धक(एस) (अभियंत्रण) महोदय, यूपीसीडा, कानपुर को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक(के) (अभियंत्रण) महोदय, यूपीसीडा, कानपुर को सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री सोनू कुमार पाण्डेय, प्रबन्धक (सिविल), निर्माण खण्ड - प्रथम, यूपीसीडा, गाजियाबाद को  
आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर.एस. यादव)

उप महाप्रबन्धक (सिविल)



## कार्यालय उप जिलाधिकारी गाजियाबाद ।


पत्रांक: 4842/एस0टी0-एस0डी0एम0/2026 दिनांक: 14-05-2026

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद ।

-----  
महोदय,

कृपया कार्यालय पत्र संख्या:-1772/उपरोक्त/आदेश दिनांक 12.11.2025, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आपके द्वारा उपजिलाधिकारी सदर गाजियाबाद की अध्यक्षता में तहसीलदार सदर गाजियाबाद, उप महाप्रबन्धक (सिविल) प्रथम यूपीसीडा गाजियाबाद एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा गाजियाबाद की संयुक्त समिति का गठन कर ग्राम झण्डापुर परगना लोनी स्थित खसरा संख्या-92/0.1640 है0 एवं खसरा संख्या-93 मि0/0.0130 है0 की भूमि की अभिलेखीय स्थिति, वास्तविक कब्जे एवं स्वामित्व से सम्बन्धित जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रकरण की संयुक्त जॉच आख्या पत्र के साथ संलग्नकर महोदय की सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
**संलग्नक:-यथोपरि।**

  
उप जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद ।


संयुक्त जॉच आख्या।


जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या:-1772/उपरोक्त/आदेश दिनांक 12.11.2025 के द्वारा उपजिलाधिकारी सदर गाजियाबाद की अध्यक्षता में तहसीलदार सदर गाजियाबाद, उप महाप्रबन्धक (सिविल) प्रथम UPSIDA गाजियाबाद एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, UPSIDA गाजियाबाद की संयुक्त समिति का गठन कर यदू गैस एर्जेसी के पास UPSIDA के पार्क पर अवैध कब्जा कर उस जमीन को किराये पर देने के विषयगत स्थलीय निरीक्षण एवं कब्जा किये गये भूखण्ड की पैमाईश कराये जाने से सम्बन्धित जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में गठित समिति के द्वारा ग्राम झण्डापुर का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम झण्डापुर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद भूमि का अधिकांश भाग UPSIDA के औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित हो चुका है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ, कारखाने, गोदाम एवं व्यावसायिक संस्थान स्थापित है। UPSIDA के Layout Plan के अनुसार यह क्षेत्र औद्योगिक उपयोग हेतु आरक्षित एवं आवंटित है। उक्त औद्योगिक निर्माण स्थायी प्रकृति के है और वर्षों से परिचालन में है। सड़के, नालियाँ, बिजली के खम्भे एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी मौजूद है। मौके पर घनी आबादी एवं औद्योगिक निर्माण के कारण पैमाईश के लिए आवश्यक कोई भी स्थायी आधार बिन्दु उसके मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। राजस्व विभाग में उपलब्ध सिजरा (नक्शे) एवं धरातलीय वास्तविकता में व्यापक अन्तर है। निर्माण कार्यों के कारण भूमि का स्वरूप इतना परिवर्तित हो चुका है कि परम्परागत पैमाईश (जरीब-फीता) से पैमाईश कर नक्शे के आधार पर सीमांकन नहीं किया जा सकता और न ही कब्जे का निर्धारण।


उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टीगत रखते हुए राजस्व अभिलेखों के आधार पर प्रश्नगत पार्क की सटीक एवं विधिसम्मत पैमाईश करना व्यवहारिक नहीं है।


आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।


  
11-5-26  
म. क. कुमार  
लेखपाल

  
11-5-26  
तहसीलदार  
गाजियाबाद

  
11/05/26  
R.1

  
उपमहाप्रबन्धक  
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
निर्माण खण्ड-प्रथम  
गाजियाबाद

  
SDMCS  
0226

  
Seen